न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—14 / 2022 / 225 आर.टी.एक्ट (2022 / 14)

1. रंगलाल पुत्र तेजा, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम खातोली हाल निवासी सरस्वती कॉलोनी, डिप्टी ऑफिस के सामने, किशनगढ, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर।
2. हरदेव पुत्र तेजा, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम खातोली हाल निवासी नायकों का मोहल्ला, श्रीनगर रोड़ चुंगी चौकी, किशनगढ, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. रामलाल पुत्र हजारीलाल जाति गुर्जर, निवासी ग्राम खातोली तहसील किशनगढ, जिला अजमेर।
2. सरजू देवी पत्नी हजारीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम खातोली तहसील किशनगढ, जिला अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार किशनगढ, जिला अजमेर।
उप—पंजीयक, किशनगढ, जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 27.12.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ, राजस्व वाद संख्या 87 / 2021

उपस्थितः—

1. श्री विकास पाराशर, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री सुण्डाराम जाट अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 3, 4
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः—.13.9.2022

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ द्वारा प्रकरण संख्या 87 / 2021 में पारित आदेश के विरूद्ध दिनांक 27.12.2021 को इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 2 द्वारा उपखण्ड अधिकारी , किशनगढ के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया। साथ में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया तथा साथ ही सजरा प्रस्तुत कर स्वयं को कालू उर्फ तेजा का रिश्तेदार बताते हुए उपरोक्त वाद पत्र प्रस्तुत किया एवं साथ में यह भी कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात कालू उर्फ तेजा पुत्र देवा की आराजीयात है जो कि ग्राम रहीमपुरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर के पूर्व खसरा नम्बर 345 / 7 वर्तमान खसरा नम्बर 52 रकबा 0.809 किस्म बारानी द्वितीय भूमि स्थित है एवं कालू उर्फ तेजा पुत्र देवा नाऔलाद फौत

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

थी गए थे जिनके वादीगण वारिसान है एवं कालू उर्फ तेजा का विरासतन नामांतरकरण संख्या 306 दिनांक 14.1.1985 को तरदीक किया गया जो गलत है इसलिए विपक्षी को पाबंद फरमाया जावे। जिस पर प्रतिवादीगण/अपीलांट्स द्वारा उपस्थित होकर जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर दिया तत्पश्चात दिनांक 27.07.2021 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय समन आदेश जारी कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 26.08.2021 को निर्देश देकर 30 दिवस में प्रकरण का निस्तारण करने का आदेश दे दिया तत्पश्चात अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रस्तुत किया तत्पश्चात् बहस सुनी जाकर आदेश दिनांक 27.12.2021 को पारित किया गया तथा वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति मूल वाद तक बनाए रखने हेतु पाबंद फरमा दिया गया। दिनांक 27.12.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांट्स ने यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की हैं।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि वादीगण/रेस्पांडेंट द्वारा स्वयं को हजारीलाल का वारिस बताते हुए स्व0 कालू के स्वयं को वारिस बताते हुए वाद पत्र प्रस्तुत किया गया जबकि उनका कालू उर्फ तेजा से किसी भी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढ द्वारा भी बिना राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किए ही निर्णय दिनांक 27.12.2021 पारित कर दिया क्योंकि नामांतरकरण संख्या 306 पूर्ण जांच के पश्चात दिनांक 14.01.1985 को तरदीक किया गया था तत्पश्चात अपीलांट्स के नाम गैर खातेदारी से खातेदारी का नामांतरकरण दिनांक 17.05.1995 को तरदीक किया गया और अपीलांट्स आज की तारीख से वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार है। उक्त नामांतरकरण से स्पष्ट है कि कालू एवं तेजा एक ही व्यक्ति है किंतु वादीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध करने के लिए न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे उनका प्रथम दृष्टया प्रकरण बनता हो जबकि राजस्व रिकार्ड से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत शजरा गलत प्रस्तुत किया गया है जबकि हजारी के सुवा, रामकरण, चौथू भी भाई हैं जिसकी विरासत का नामांतरकरण दिनांक 29.01.1983 को तरदीक किया जिसकी प्रति प्रस्तुत की जा रही है। वादीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कालू उर्फ तेजा से कोई सरोकार हो केवल मात्र अपीलांट्स को हैरान व परेशान करने के लिए ही उपरोक्त वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। वादीगण द्वारा वाद-पत्र के समर्थन में ऐसे कोई साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत नहीं किए गए थे जिससे उनका वादग्रस्त आराजीयात से किसी भी प्रकार का कोई सरोकार होना सिद्ध हो। केवल मात्र एक अजनबी व्यक्ति सूरज गुर्जर पुत्र रामलाल का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया। वर्तमान प्रकरण में वादीगण द्वारा प्रथम दृष्टया प्रकरण किसी भी रूप में साबित नहीं किया गया एवं धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना-पत्र को निस्तारण करते समय प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिंदु को देखा जाना होता है। अपीलांट्स स्व0 कालू की मृत्यु के पश्चात नामांतरकरण संख्या 306 दिनांक 14.01.1985 तरदीक किए जाने के समय से ही आराजीयात पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं एवं एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को पाबंद नहीं फरमाया जा सकता है। वादीगण द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र को सिद्ध करने के लिए ऐसा कोई दस्तावेज एवं साक्ष्य

प्रस्तुत नहीं की गई जिससे उनका किसी प्रकार से वादग्रस्त आराजीयात में हक व अधिकार बनता हो प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलांटस के पक्ष में है। रेस्पोडेंट द्वारा गलत रूप से सजरा एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया जबकि विपक्षी का आराजीयात से कोई सरोकार नहीं है एवं कालू उर्फ तेजा एक ही व्यक्ति है जिसको दो नामों से जाना जाता था ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ द्वारा विधि विरूद्ध रूप से राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें जाने का आदेश प्रदान कर दिया जबकि धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना–पत्र का अंतिम निस्तारण किए जाते समय उपरोक्त आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। इसलिए आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.12..2021 को निरस्त फरमाया जाने के आदेश प्रदान करावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंटस ने बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम रहीमपुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर के पूर्व खसरा नम्बर 345/7 के वर्तमान खसरा नम्बर 52 रकबा 0.8090 है. स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 2 के पूर्वाधिकारी/मूल खातेदार कालू पुत्र देवा जाति गुर्जर साकिन देह खातौली की खातेदारी भूमि थी। कालू पुत्र देवा नाऔलाद, निर्वसियत फौत होने से प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 ही एक मात्र वारिस व उत्तराधिकारी है, मृतक खातेदार व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 एक ही परिवार के सदस्य है तथा वर्तमान अपीलांट संख्या 01 व 02 द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत करके उपरोक्त आराजी के पूर्व खसरा नम्बर 345/7 के वर्तमान खसरा नम्बर 52 में कालू पुत्र देवा के फर्जी वारिसान बनकर विरासत नामान्तकरण संख्या 306 दिनांक 14.01.1985 खुलवा लिया गया है जो गलत व प्रारम्भ से ही शून्य व प्रार्थीगण के हित–अधिकारों पर निष्प्रभावी है क्योंकि वर्तमान अपीलांटस व मृतक खातेदार के बीच कोई पारिवारिक सम्बन्ध नही थे, क्योंकि वर्तमान अपीलांटस के दादा का नाम मुकना थे तथा मुकना के दो पुत्र तेजू उर्फ तेजा व गोल थे तथा तेजू उर्फ तेजा के दो पुत्र रंगलाल व हरदेव है जिनकी गौत्र पोस्वाल है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के पूर्वज देवा थे जिनके वारिस कालू व हजारी है तथा कालू नाऔलाद अविवाहित फौत हो गया तथा कालू के भाई हजारी भी फौत हो गया हजारी के एक पुत्र रामलाल पत्नि सरजू देवी व एक पुत्री भंवरी देवी है। इस प्रकार कालू पुत्र देवा के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अुनसार विधिक वारिसान रामलाल, सरजू देवी व भंवरी देवी है जिनकी गौत्र दडगस है। इस प्रकार वर्तमान अपीलांटस के पिता का नाम वास्तविक व सही नाम तेजा उर्फ तेजू है तथा इनकी गौत्र पोस्वाल है।अपीलांटस अवैधानिक रूप से खोले गये फर्जी विरासत नामान्तकरण की आड़ में रेस्पोडेन्टस को मौके से बेदखल करने व विवादित आराजी को बेचान, हस्तातंरण, रहन,शक्ल परिवर्तन करने पर आमादा है।उक्त वर्णित समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं दस्तावेजों के आधार पर अपीलांटस की अपील प्रथम दृष्टया ही पोषणीय नही होने के आधार पर खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.12.2021 पत्रावली पर वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजो के आधार पर वादी/प्रार्थी के पक्ष में प्रकरण प्रथम दृष्टया मानते हुए आदेश पारित किया है इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय ने स्वयं के आदेश दिनांक 27.12.2021 के अन्तर्गत यह भी उल्लेख किया है कि पक्षकारों के बीच विवाद के सम्बनध में तनकियात कायम की जाकर साक्ष्य सबूत के आधार पर वाद में गुणावगुण पर विनिश्चिय होना बाकि है,अप्रार्थीगण राजस्व

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे ताकि वाद बाहुल्यता नही बढे, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वर्णित समस्त महत्वपूर्ण दस्तावेजों, समस्त तथ्यों एवं न्यायिक दृष्टांतो के आधार पर विधि सम्मत आदेश पारित किया है। इससे सम्बन्धित न्यायिक दृष्टांत (2010)1एस.सी.सी. पेज 689, आर.बी.जे. 1998 (5)पेज 381, ए.आई.आर. 2005(सप्रीम कोर्ट) पेज 104, 2008 डी.एन.जे. (सुप्रीम कोर्ट)पेज 809 में यह प्रतिपादित किया गया है कि स्थगन आदेश को इस अपील मेंमूल वाद के निस्तारण तक निरन्तर जारी रखना उचित आवश्यक एवं न्यायसंगत है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है किअपील अपीलांटस खारिज की जावें तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.12.2021 को यथावत् रखे जाने के आदेश प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेजात व न्यायिक दृष्टांतो व प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त वर्तमान खसरा नम्बर 52 की 5 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) सम्वत् 2046–49 व सम्वत् 2050–2053 में अपीलांट संख्या 01 ,0 के गैर खातेदारी में दर्ज हैं तथा नामान्तकरण संख्या 107 दिनांक 17.05.1995 को अपीलांट संख्या 01, 02 के तहसीलदार, किशनगढ़ द्वारा स्वीकृत किया गया है तथा वर्तमान में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है, जैसा कि मान्नीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर ने 2015 डी.एन.जे. (रेवेन्यू)पेज नम्बर 67 बउनवान नाथूलाल बनाम तुलसीराम वगैरह, व अन्य कई प्रकरणों यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है यदि प्रार्थीगण भूमि के कब्जे में हो तथा प्रथम दृष्टया मामला बनता हो, प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस का कब्जा साबित करने हेतु राजस्व अभिलेख नहीं है। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात से अपीलांट प्रथम दृष्टया प्रकरण बनना पाया जाता है। जमाबंदी सम्वत 2068 से 2071 खाता संख्या नया 114 पुराना 94 खसरा नम्बर 52 रकबा 0.8090 है0 भूमि से सम्बन्धित हक, अधिकार तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में बाद साक्ष्य सबूत के गुणावगुण के आधार पर वाद का विनिश्चियन होना है। उपरोक्त कारणों से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.12.2021 को निरस्त किया जाना उचित समझते हैं।

7. अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी,किशनगढ़ के द्वारा प्रकरण संख्या 87/2021 में पारित आदेश दिनांक 27.12.2021 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 13.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर